43

न्यायालय राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

प्र.कं. / 2012 पुनरीक्षण R. 3721-I/12

श्यौजी दत्तक पुत्र स्व. प्रहलाद
निवासी ग्राम अजापुरा तहसील व जिला
श्योपुर (म.प्र.)

...... आवेदक

श्री मुकेश भार्गव, अभि.
द्वारा आज दि. 30.10.12 को
प्रस्तुत

30.10.12
क्लर्क ऑफ कोर्ट
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

W3
मुकेश भार्गव
30-10-12 एडवोकेट
ग्वालियर

विरूद्ध

1. मांगीबाई पुत्री स्व.प्रहलाद पत्नी गुलाबचंद निवासी ग्राम सनमान पुरा तह. पीपल्दा जिला कोटा (राजस्थान)
2. गीता बाई पुत्री स्व. प्रहलाद पत्नी रतनलाल निवासी ग्राम पानडी तहसील व जिला श्योपुर (म.प्र.)
3. संतोष बाई पुत्री स्व. प्रहलाद पत्नी मूडीलाल निवासीग्राम राधापुरा तह. बडौदा जिला श्योपुर (म.प्र.)

.... अनावेदकगण

4. म.प्र. शासन (प्रोफार्मा पक्षकार)

<u>न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी, श्योपुर द्वारा प्र.कं. 94/2011-12/अ.मा. में पारित आदेश दिनांक 07.8.12 के विरूद्ध म.प्र. भू. राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अंतर्गत पुनरीक्षण</u>

माननीय महोदय,

आवेदक का निम्नानुसार निवेदन है कि –

1– यह कि, अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश अवैध, अनुचित तथा विधि के उपबंधों के प्रतिकूल होने से प्रथम दृष्टया ही निरस्त किये जाने योग्य है।

R-3721-I/12

4-5-16

यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी श्योपुर व्दारा प्रकरण कमांक 94/11–12 अपील में पारित अंतरिम आदेश दिनांक 07–8–12 के विरूद्ध म0प्र0भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है, जिसके व्दारा तहसीलदार श्योपुर के प्रकरण कमांक 5/09–10 अ 27 में पारित आदेश दिनांक 18–6–10 के विरूद्ध अनुविभागीय अधिकारी श्योपुर के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई है एंव अनुविभागीय अधिकारी ने अंतरिम आदेश दिनांक 7.8.12 से प्रकरण पंजीबद्ध करने का तथा अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब करने का निर्णय लिया है।

3/ आवेदक के अभिभाषक ने तर्को में व्यक्त किया है कि अनुविभागीय अधिकारी को बटवारा आदेश दिनांक 18.6.10 के विरूद्ध दिनांक 7–8–12 को प्रस्तुत अपील को दर्ज नहीं करना था अपितु उन्हें समयावधि के बिन्दु पर अपील निरस्त कर देना चाहिये थी।

4/ आवेदक के अभिभाषक के तर्को पर विचार करने एंव निगरानी मेमो में अंकित आधारों के अवलोकन से

R 3721 I/12

स्थिति यह है कि आवेदकगण व्दारा यह निगरानी इस आधार पर प्रस्तुत की गई है कि अनुविभागीय अधिकारी ने 2 वर्ष के विलम्ब से प्रस्तुत अपील को सुनवाई में लिया है । अनुविभागीय अधिकारी के अंतरिम आदेश दिनांक 17-12-12 के अवलोकन से पाया गया कि उन्होंने अपील सुनवाई हेतु दायर कराई है अवधि विधान की धारा-5 पर अथवा विलम्ब पर किसी प्रकार का निर्णय नहीं लिया है अपितु अनुविभागीय अधिकारी की आदेश पत्रिका दिनांक 17-12-12 के अवलोकन से पाया गया कि उन्होंने अवधि विधान की धारा-5 के आवेदन पर तर्क हेतु प्रकरण आगामी तिथि में नियत किया है। विलम्ब के सम्बन्ध में जो आपत्ति आवेदक के अभिभाषक इस न्यायालय में प्रस्तुत कर रहे हैं उन्हें तदाशय की आपत्ति अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करने का उपचार प्राप्त है, जिसके कारण विचाराधीन निगरानी सुनवाई योग्य नहीं है।

5/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी सारहीन होने से इसी-स्तर पर निरस्त की जाती है। आदेश की प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख वापिस किया जाय तथा प्रकरण रिकार्ड रूम में जमा किया जावे।

सदस्य